



क्रमांक 11/8/2014-3FR/11887

D. No. 404 PSSE
Dt. 23-1-15

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष,
2. आयुक्त मण्डल, अम्बाला, गुड़गाँव, रोहतक, हिसार।
3. सभी उपायुक्त तथा उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा।
4. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।

दिनांक, चण्डीगढ़ 20.01.2015

Sub:-

Scheme for grant of maternity leave to female employees of Haryana Government engaged on contact basis.

महोदय/श्रीमती,

DSE/27.01.15

27.01.15

SAD

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि हरियाणा सरकार द्वारा अनुबन्ध आधार पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के प्रसूति अवकाश को वित्त विभाग की जारी हिदायतें क्रमांक 11/8/2014-3एफ0आर0/11887 दिनांक 4 अगस्त, 2014 द्वारा 3 मास से बढ़ा कर 6 मास कर दिया गया है। यह हिदायतें दिनांक 1.08.2014 से लागू की गई हैं। अतः आप से अनुरोध है कि आप के विभाग में ऐसी कितनी महिला कर्मचारी हैं जिन्हें इन वर्णित हिदायतों के तहत प्रसूति अवकाश ग्रहण करने का लाभ दिया गया है, कृपया 10 दिनों के अन्दर-अन्दर यह सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करवाए।

AD (Admin)

27-1-15

AD (Admin)

अवर सचिव, वित्त विभाग।

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

21.1.2015

एक प्रति सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा प्रधान सचिव हरियाणा सरकार व प्रशासकीय सचिवों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अवर सचिव, वित्त विभाग।

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

21.1.2015

सेवा में,

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा
प्रधान सचिव व प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

अशा: क्रमांक 4/1/2009-5एफ0आर0/11887

दिनांक 20.01.2015
21